भारत संरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(वीएएस प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 846-38/96-वीएएस(वोल-II)/80 दिनांक : 26.08.2004

सेवा में,

सभी वाईस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस लाईसेंस धारक

विषय : वाईस मेल/आडियोटेक्सयूएमएस लाइसेंस करार में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को वाईस मेल/आडियोटेक्स/युनिफाईड मेसिजिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस करार के निम्नलिखित खंडों कें सेशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है। मौजूदा और संशोधित खंड निम्नवत हैं।

खंड संख्या	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
22.1	सेवाओं के परिचालन के लिए जरूरी संसाधन और उन्हें भा0सं0नि0लि0 / म0टे0नि0लि0 / दूसरे दूरसंचार सेवा प्रदाता लाइसेंस धारकों के नेटवर्क तक बढ़ाने के लिए पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति की जाएगी / संसाधनों में फिजिकल जंक्सन, पीसीएम डेराईज चैनल, निजी तारें, लीज्ड लाइनें, डाटा सर्किट और दूसरे संचार तत्व इत्यादि सम्मिलित हैं। परंतु केलव इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। लाइसेंसधारी भा0सं0नि0लि0 / म0टे0नि0लि0 / दूसरे लाइसेंस धारक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इच्छित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन संसाधनों के लिए प्रावधान और इन संसाधनों के माध्यम से जाने वाले परियात के लिए प्रशुल्क और परिचालन लाइसेंसप्रदाता और ट्राई के विद्यमान नियमों और विनियमों	सेवाओं के परिचालन के लिए जरूरी संसाधन और उन्हें भा0सं0नि0लि0 / म0टे0नि0लि0 / दूसरे दूरसंचार सेवा प्रदाता लाइसेंस धारकों के नेटवर्क तक बढ़ाने के लिए पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति की जाएगी / संसाधनों में फिजिकल जंक्सन, पीसीएम डेराईज चैनल, निजी तारें, लीज्ड लाइनें, डाटा सर्किट और दूसरे संचार तत्व इत्यादि सम्मिलित हैं। परंतु केलव इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। लाइसेंसधारी भा0सं0नि0लि0 / म0टे0नि0लि0 / दूसरे लाइसेंसधारक दूरसंचार सेवा-प्रदाताओं से इच्छित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन संसाधनों के लिए प्रावधान और इन संसाधनों के माध्यम से जाने वाले परियात के लिए प्रशुल्क और परिचालन लाइसेंसप्रदाता और ट्राई के विद्यमान नियमों और विनियमों के द्वारा शासित होगा। एक से ज्यादा दूरसंचार सेवाप्रदाता से सेवाओं के परिचालन के संसाधन लेने के मामले में वाइस मेल/आडियोटेक्स सेवा लाइसेंसधारकों को डायल आउट सुविधा की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल एक सेवाप्रदाता से वाइस मेल/आडियोटेक्स सेवा लाइसेंस धारकों द्वारा

33

	के द्वारा शासित होगा।	संसाधन लेने के मामले में डायल आउट सुविधा की इजाजत होगी। यद्यपि यूएमएस लाइसेंस धारकों को डायल आउट सुविधा की इजाजत नही होगी।
27.3		वाइस मेल / आडियोटेक्स/लाइसेंसधारक लाइसेंसप्रदाता / निर्धारित मॉनीटरिंग एजेंसियों को एक निगरानी केंद्र अनफिल्टरड सीडीआर फाइल के सीमित पहुंच के साथ प्रदान करेंगे।
27.4		वाईस मेल/आडियोटैकस सेवा प्रदाता संवाद कॉलों के बारे में सारी विस्तृत सूचना लाइसेंसिग प्राधिकारी को मांग पर उपलब्ध करवायेंगे जैसेकि संवाद के पक्षकार , तारीख, समय, संवाद की अवधि इत्यादि। आडियोटेक्स सेवाप्रदाता,पंजीकृत ग्राहकों की सूची लाइसेंसिंग प्राधिकारी को मांगने पर देगा। सूचना को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।
30.6		वाइस मेल/आडियोटेक्स लाइसेस धारकों द्वारा बिन्दु से बिंदु संवाद और कालिंग कार्ड सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
30.7	कोई लाइसेंसधारी अभिगम सेवाप्रदाता के एसटीडी/आईएसडी यातायात के गैर कानूनी ढंग से बाईपास करके कोई भी डायल आउट सुविधा इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वाइस मेल/आडियोटेक्स लाइसेंसधारी को इस संबंध में वचनबंद्ध देना होगा।	

2. लाइसेसं करार की दूसरी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

ह0/-
(एच0के0 जोहरी)
सहायक महानिदेशक(वीएएस-II)
26 अगस्त, 2004

प्रति :

1. सचिव, ट्राई, नई दिल्ली।
2. सारे बेसिक/यूएएसएल/सेल्युलर सेवा प्रदाता।
3. वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी)

सं0 18-7/2007-ओएसपी
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, अशोक रोड

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2008

प्रेस नोट

विषय : सीएस सेल, दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) से वीटीएम की फील्ड यूनिटों में अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) श्रेणी और "टेलीमार्केटिंग" श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण का विकेंद्रीकरण।

सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि वह ऐसे नीति संबंधी निर्णयों की घोषणा करे जिससे राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार लोगों को बेहतर दूरसंचार सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।

2. सरकार ने प्रथम चरण में **01.09.2007 से** दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) से 10 सर्किलों की संबंधित दूरसंचार सतर्कता अनुश्रवण (वीटीएम) सेल में "अन्य सेवा प्रदाता" श्रेणी के अंतर्गत कॉल सेंटरों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) तथा "टेलीमार्केटिंग" श्रेणी के अंतर्गत टेलीमार्केटरों के पंजीकरण का विकेंद्रीकरण कर दिया है। पंजीकरण का विकेंद्रीकरण सफल रहा है और निपटारे में विलंबता में कमी आई है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि **1 जून, 2008 से** सभी वीटीएम सेल में अन्य सेवा प्रदाता/ टेलीमार्केटिंग के अंतर्गत पंजीकरण का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए।

3. नामित प्राधिकारी, वीटीएम सेल का पता और अन्य सेवा प्रदाता/टेलीमार्केटरों के पंजीकरण के लिए अधिकारिता क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

नामित प्राधिकारी : उप महानिदेशक/ .... के मुखिया (टीईआरएम सेल का नाम)				**डिमांड ड्राफ्ट मुख्य लेखा अधिकारी, सीसीए कार्यालय (.....)के नाम देय हो**
क्र0सं0	**वीटीएम सेल**	**पता**	**सर्किल/अधिकार क्षेत्र**	**सीसीए**
1.	**अहमदाबाद**	प्रथम तल, डाक तार प्रशासनिक भवन, खानपुर, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद	गुजरात
2.	**अंडमान और निकोबार**	डीटीओ बिल्डिंग, प्रथम तल, बंगाली क्लब रोड, नजदीक मुख्य डाक घर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार-744101	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार
3.	**आंध्र प्रदेश**	डी-11, दूरसंचार अधिकारी परिसर, टिक्कल रोड, मोगल राजपुरम, विजयवाड़ा-520010 (आ0प्र0)	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद को छोड़कर)	आंध्र प्रदेश

35

4.	**असम**	गुवाहाटी (361) पांचवां तल, सीजीएमटी कार्यालय, बीएसएनएल, असम, पान बाजार, गुवाहाटी, पिन-381001	असम	असम
5.	**बेंगलुरू**	द्वितीय तल, एमिनिटी ब्लॉक, पैलेस रोड, बेंगलुरू-560001	बेंगलुरू	कर्नाटक
6.	**बिहार**	7वां तल, टेलीफोन भवन, आर ब्लॉक पटना-800001	बिहार	बिहार
7.	**चेन्नै**	तीसरा तल, केल्लिस टेलीफोन एक्सचेंज, 22 केल्लिस रोड, चेन्नै-10	चेन्नै मैट्रो और पांडिचेरी	तमिलनाडु
8.	**छत्तीसगढ़**	कमरा सं0 108, दूरसंचार भवन, जीई रोड, रायपुर-492001	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
9.	**दिल्ली**	पांचवा/छठा तल, एमटीएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	दिल्ली (गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव को छोड़कर)	दिल्ली
10.	**गुजरात**	प्रथम तल, डाक तार प्रशासनिक भवन, खानपुर, अहमदाबाद-380001	गुजरात (अहमदाबाद को छोड़कर)	गुजरात
11.	**हरियाणा**	कमरा सं0 302, तीसरा तल, सीजीएमटी, बीएसएनएल, हरियाणा कार्यालय बिल्डिंग, 107, दि मॉल, अंबाला-133001	हरियाणा	हरियाणा
12.	**हिमाचल प्रदेश**	हरि निवास, खालिनी शिमला, हि0प्र0-171002	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
13.	**हैदराबाद**	# 104, टीईसी काम्पलैक्स, चेरलापल्ली, हैदराबाद-51	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
14.	**जयपुर**	टीई बिल्डिंग, सेक्टर-5, विद्याधर नगर, सीकर रोड, जयपुर-23	जयपुर	राजस्थान
15.	**जम्मू कश्मीर**	चौथा तल, तकनीकी ब्लॉक, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, त्रिकुता नगर, रेल हैड काम्पलैक्स, जम्मू	जम्मू कश्मीर	जम्मू कश्मीर
16.	**झारखंड**	कमरा # बी-202, एआरटीटीसी, बीएसएनएल, (नजदीक जुमार नदी,), हजारीबाग रोड़, रांची-835217	झारखंड	झारखंड
17.	**कर्नाटक**	द्वितीय तल, एमिनिटी ब्लॉक, पैलेस रोड, बेंगलुरू-560001	कर्नाटक (बेंगलुरू को छोड़कर)	कर्नाटक
18.	**केरल**	उप महानिदेशक (वीटीएम) का कार्यालय, केरल, दूरसंचार विभाग, नजदीक फायर स्टेशन, गांधी नगर, एर्नाकुलम-682020	केरल और लक्षद्वीप	केरल

19.	**कोलकाता**	चौथा तल, 3ए, चौरंघी प्लेस, कोलकाता-700013	कोलकाता मैट्रो	प0 बंगाल
20.	**लखनऊ**	5/464-465, विक्रम खंड 5, गोमती नगर, लखनऊ	लखनऊ	उ0प्र0 (पूर्व)
21.	**मध्य प्रदेश**	दूरदर्शन भवन, कमरा सं0 222, द्वितीय तल, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462015	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
22.	**महाराष्ट्र**	प्रथम तल, खामला टेलीफोन एक्सचेंज, खामला, नागपुर-440025	महाराष्ट्र (पूना और मुंबई को छोड़कर)	महाराष्ट्र
23.	**मुंबई**	चौथा तल, वर्सोवा टेली एक्सचेंज बिल्डिंग, एसवी रोड, महादा, एसवीपी नगर, अंधेरी (प0), मुंबई-400053	मुंबई मैट्रो	महाराष्ट्र
24.	**पूर्वोत्तर-I**	तीसरा तल, सीटीओ बिल्डिंग, शिलांग-793001	पूर्वोत्तर-I (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)	पूर्वोत्तर-I
25.	**पूर्वोत्तर-II**	ओसीबी-टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग के पीछे, दीनापुर-797112	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	पूर्वोत्तर-II
26.	**उड़ीसा**	7वां तल, आईडीसीओ टॉवर, भुवनेश्वर-22, उड़ीसा	उड़ीसा	उड़ीसा
27.	**पूना**	281/बी, द्वितीय तल, तकनीकी स्कंध, टेलीफोन भवन, बाजी राव रोड, पूना-411002	पूना	महाराष्ट्र
28.	**पंजाब**	प्रथम तल, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, सेक्टर-70, मोहाली, चंडीगढ़-160071	पंजाब (चंडीगढ़ को छोड़कर)	पंजाब
29.	**राजस्थान**	टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, सेक्टर-5, विद्याधर नगर, सीकर रोड, जयपुर-23	राजस्थान (जयपुर को छोड़कर)	राजस्थान
30.	**तमिलनाडु**	5वां तल, एलआईसी बिल्डिंग, सं0 1544, त्रिची रोड, कोयंबटूर-641018	तमिलनाडु (चेन्नै और पांडिचेरी को छोड़कर)	तमिलनाडु
31.	**उत्तर प्रदेश (पूर्व)**	5/464-465, विराम खंड-5, गोमती नगर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश (पूर्व) (लखनऊ को छोड़कर)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
32.	**उत्तर प्रदेश (पश्चिम)**	प्रथम तल, ब्रह्मपुरी टेलीफोन एक्सचेंज, मेरठ (उ0प्र0)-250002	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड को छोड़कर)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

33.	**उत्तराखंड**	तीसरा तल, विंडलस काम्पलेक्स, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001	उत्तराखंड	उत्तराखंड
34.	**पश्चिम बंगाल**	82, बुल्लिगंज प्लेस, द्वितीय तल, नजदीक कन्वर्जेंस हाल, कोलकाता-700019	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल

4. तदनुसार, सर्किलों में कॉल सेंटरों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) के पंजीकरण के इच्छुक अन्य सेवा प्रदाता **प्रस्तावित कॉल सेंटरों की अवस्थिति के अनुसार** संबंधित वीटीएम सेल के मुखिया को **01.06.2008 से** सीधे आवेदन कर सकते हैं।

5. इसी प्रकार, **01.06.2008 से** "टेलीमार्केटिंग" श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले टेलीमार्केटर, अनंतिम पंजीकरण के लिए सेवा प्रदाताओं को आवेदन करना जारी रखेंगे और सेवा प्रदाता **प्रस्तावित कॉल सेंटरों की अवस्थिति के अनुसार** संबंधित वीटीएम सेल को आवेदन अग्रेषित करेगा।

6. "अन्य सेवा प्रदाता" श्रेणी और "टेलीमार्केटिंग" श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की शर्तें वेबसाइट www.dot.gov.in पर उपलब्ध शर्तों के समान रहेंगी। उपर्युक्त वेबसाइट पर डाक पता/टेलीफोन/फैक्स सहित वीटीएम सेल के मुखिया की सूची भी उपलब्ध है।

(एस0टी0 अब्बास)
निदेशक (सीएस-III)
टेलीफोन सं0 23722444

प्रेस नोट को जारी करने और इसके व्यापक प्रचार के लिए **निदेशक (मीडिया एवं संचार)**, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार को अग्रेषित।